प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :– 03/2021 प्रा० का

1. प्रकाश S/o रामलाल बलाई नि० मेकावास तह० करेड़ा – करेड़ा

प्रार्थी.......

बनाम

1. रामलाल S/o भोजा बलाई नि० मेकावास - तह० करेड़ा - करेड़ा

विपक्षीगण..

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956</u>

:: आदेश :: दिनांक 6/10/21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०राज०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेकावास पटवार हल्का मेआणा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 189 आराजी नम्बर 12/1 0.3035 / 1839/550 0.1897 / 1853/310 0.3794 / 313 0.1012 / 314 1.4038 / 314/1 0.0126 कुल किता 6 रकबा 2.3902 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सवंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 6/10/21 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मेकावास पटवार हल्का मेआणा तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 189 आराजी नम्बर 12/1 0.3035 / 1839/550 0.1897 / 1853/310 0.3794 / 313 0.1012 / 314 1.4038 / 314/1 0.0126 / कुल किता 6 रकबा 2.3902 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक करेड़ा को 850/– रुपये कमिश्नर फीश पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये गुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

संलग्नः– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.20 12:49:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

PP03/2021

2021/995